पत्रांक-अ0सं0क0- 08-06/2010 (खण्ड)..1466../

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

रशीद अहमद
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

अवर सचिव
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
11वीं मंजिल, पर्यावरण भवन
सी0जी0ओ0 कम्लेक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली- 110003

पटना, दिनांक 12.05.16

विषयः- **11वीं पंचवर्षीय योजना में एम0एस0डी0पी0 के तहत योजनाओं के स्थल परिवर्तन के घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में ।**

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक- 1385 दिनांक- 11.07.2014, पत्रांक- 1655 दिनांक-14.08.2014 एवं पत्रांक- 1602 दिनांक- 07.10.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि 11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत में एम0एस0डी0पी0 के तहत सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत भूमि अनुपलब्धता के कारण 02 उच्च विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण तथा 04 उच्च विद्यालय में छात्रावास एवं चहार दिवारी सहित भवन निर्माण के स्थल परिवर्तन एवं दरभंगा जिला अन्तर्गत 100 शैयूया वाले बालक छात्रावास के पूर्व में स्वीकृत ओंकार उच्च विद्यालय, सुपौल बाजार के स्थान पर मदरसा रहमानिया सुपौल बाजार में निर्माण के प्रस्ताव राज्य स्तरीय 15-सूत्री की दिनांक 14.11.2014 की बैठक में अनुमोदन के पश्चात अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति के प्रत्याशा में विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है ।

अतः अनुरोध है कि उक्त दोनों जिलों के स्थल के परिवर्तन के प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति देने की कृपा की जाये ।

अनु0- राज्य स्तरीय 15-सूत्री बैठक की कार्यवाही की छायाप्रति

विश्वासभाजन

Ahmad 12/5/16
सरकार के उप सचिव

दिनांक 14.11.2014 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित राज्य 15 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :– संलग्न सूची के अनुसार

कार्यावली संख्या–I: विगत बैठक दिनांक 17.02.2014 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।

कार्यावली संख्या– II: विगत बैठक में लिये गए निर्णयों के अनुपालन प्रतिवेदन को नोट किया गया।

कार्यावली संख्या– III:

(क) 12वीं पंचवर्षीय योजना अन्तर्गत एम0एस0डी0पी0 के तहत चिन्हित प्रखण्डों/शहरों के लिये समर्पित परियोजना प्रतिवेदनों पर विचार के पूर्व, योजना की नयी मार्गदर्शिका पर चर्चा हुयी एवं इसके मुख्य बिन्दु/प्रावधानों से जिला पदाधिकारियों को अवगत कराया गया। सभी जिला पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे योजनाओं के लिए सर्वाधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले स्थलों का चयन करें एवं यह सुनिश्चित कर लें कि प्रस्तावित योजनाओं के पोषक क्षेत्र में अल्पसंख्यक आबादी कम से कम 25 प्रतिशत हो। प्रायः यह देखा गया है कि योजनाओं के चयन के बाद भूमि उपलब्धता की समस्या सामने आती है एवं योजना का क्रियान्वयन बाधित होता है। जिला पदाधिकारियों को निदेशत किया गया कि वह प्रस्तावित योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें एवं शीघ्र प्रस्तावित योजनाओं की स्थल विवरणी समर्पित कर दें ।

(ख) विभिन्न जिलों/ प्रखण्डों के प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित योजनाओं के दर में भिन्नता को देखते हुए बैठक में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अद्यतन दर अनुसूचि (schedule of rates) पर आधारित विभिन्न विभागों/ निगमों के मॉडल प्राक्कलन के आधार पर प्रस्तावित योजनाओं की लागत को अद्यतन कर ही प्रस्ताव भारत सरकार को भेजेगा । इसी क्रम में भवन निर्माण विभाग के अद्यतन प्राक्कलन के अनुसार 100 शैय्या वाले छात्रावास का निर्माण ₹ 273.54 लाख पर एवं 50 शैय्यावाले छात्रावास का निर्माण ₹ 219.26 लाख प्रति इकाई के दर पर कराए जाने का निर्णय हुआ । अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण ₹ 107.00 लाख प्रति इकाई और स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण ₹ 25.88 लाख प्रति इकाई की लागत पर कराये जाने का निर्णय हुआ । लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अद्यतन प्राक्कलन के अनुसार चापाकल अधिष्ठापन ₹ 1.014 लाख प्रति इकाई पर एवं सोलर मिनी वाटर सप्लाई योजना ₹ 22.99 लाख प्रति इकाई की दर पर कराए जाने का निर्णय हुआ । अतिरिक्त क्लास रूम निर्माण हेतु समर्पित प्रस्तावों में भिन्नता के संदर्भ में यह विचार हुआ कि इस हेतु किसी एक मॉडल नक्शा/प्राक्कलन को अनुमोदित करना उचित नहीं होगा। अतः बैठक में निर्णय लिया गया कि अल्पसंख्यक कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जाये कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के डिजाइन आवश्यक होने के कारण दर में भिन्नता रहेगी। फिर भी यदि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को यह स्वीकार्य नहीं हो तो अतिरिक्त क्लास रूम निर्माण के प्रस्तावों को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर0एम0एस0ए0) के मानदंड/लागत पर स्वीकृति दी जाये एवं इसके पश्चात अन्तर राशि, आवश्यकता होने पर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग देगा ।

(ग) कटिहार, किशनगंज एवं अन्य जिला पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मदरसा एवं अन्य गैर सरकारी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित समर्पित प्रस्तावों के संदर्भ में वह लिखित आश्वासन प्राप्त कर लें एवं सुनिश्चित कर लें कि उक्त संस्थानों के प्रश्नगत भूमि का निबंधन योजना स्वीकृति के तुरन्त बाद एवं निर्माण कार्य से पूर्व महामहिम राज्यपाल के नाम करवा लिया जायेगा ताकि सृजित सम्पत्ति का स्वामित्व सरकार के पास रहे ।

3. कटिहार (राशि लाख रुपयें में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	इकाई की संख्या	प्रति इकाई लागत	कुल लागत
1	बरसाई में आई.टी.आई. का निर्माण	1	798.89	798.89
2	कटिहार में आई.टी.आई. (बालिका) का निर्माण	1	798.89	798.89
3	मदरसा जामिया हफ्सा बिन्त–ए–उमर हाजीपुर कटिहार में 50 शैय्या वाले बालिका छात्रावास का निर्माण	1	219.26	219.26
4	अल्पसंख्यक छात्रावास, शरीफगंज, कटिहार में पहुंचपथ का निर्माण	1	40.00	40.00
5	सरकारी अनुदानित मदरसा नाजिरा M.No. 722 (New) में 02 अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण	1	14.00	14.00
6	सरकारी अनुदानित मदरसा नाजिरा M.No. 722 (New) में फर्निचर (बेंच डेस्क 20) की आपूर्ति	20	0.08	1.60
7	सरकारी अनुदानित मदरसा, हाजीपुर M.NO. 955 में 02 अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण	1	14.00	14.00
8	22 सरकारी अनुदानित मदरसा (पुराना) में प्रिन्टर, स्कैनर एवं डाटाकार्ड सहित कम्प्यूटर डेस्कटॉप की आपूर्ति	22	0.50	11.00
9	बहुद्देशीय हॉल का निर्माण	11	75.00	825.00
10	सदर हॉस्पीटल कटिहार में रोगी कक्ष (महिला) (द्वितीय तल) का निर्माण शौचालय एवं जलापूर्ति सहित	1	150.00	150.00
11	सरकारी उच्च विद्यालय कोढ़ा, मध्य विद्यालय बिघौरत, मध्य विद्यालय चापाखोर, उच्च माध्यमिक विद्यालय, शिवानन्दपुर, मध्य विद्यालय कालियानगर एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में 4–4 अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण (द्वितीय तल)	6	28.00	168.00
12	उच्च विद्यालय हेमकुंज अमदाबाद में 8 अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण (द्वितीय तल)	1	56.00	56.00
	कुल			**3096.64**

(ख) तदपश्चात् 11वीं पंचवर्षीय येाजनान्तर्गत भूमि अनुपलब्धता के कारण सीतामढ़ी एवं दरभंगा जिला के निम्न स्वीकृत येाजनाओं के स्थल परिवर्तन की स्वीकृति पर विचार किया गया :–

क्रमांक	योजना का नाम	योजना हेतु पूर्व में चयनित स्थल	परिवर्त्तन के पश्चात नये स्थल का नाम एवं अल्पसंख्यक आबादी का प्रतिशत
सीतामढ़ी			
1	हाई स्कूल में अतिरिक्त वर्ग रूम	1. एल0एम0 हाई स्कूल पुपरी ।	1. उच्च विद्यालय रायपुर नानपुर (100 प्रतिशत आबादी)
		2. प्रोजेक्ट बालिका हाई स्कूल पुपरी ।	2. उच्च विद्यालय, परिहार (60 प्रतिशत आबादी)

221

क्रमांक	योजना का नाम	योजना हेतु पूर्व में चयनित स्थल	परिवर्त्तन के पश्चात नये स्थल का नाम एवं अल्पसंख्यक आबादी का प्रतिशत
2.	हाई स्कूल विद्यालय छात्रावास एवं चाहर दिवारी	1. हाई स्कूल चकवा, पुनर्वास, बैरगनिया	1. उत्क्रमित उ0वि0, चकौती बोखड़ा (35 प्रतिशत आबादी)
		2. हाई स्कूल, हसनपुर बरहरवीं, बाजपट्टी	2. उत्क्रमित उ0वि0, सिरसिया बाजार, परिहार (24.25 प्रतिशत आबादी)
		3. हाई स्कूल, कुरहर, बोखड़ा	3. उत्क्रमित उ0वि0, मौलानगर पुपरी (85 प्रतिशत आबादी)
		4. हाई स्कूल, इन्दरवा, परिहार	4. उत्क्रमित उ0वि0, सुतिहारा परिहार (27.99 प्रतिशत आबादी)
दरभंगा			
1	100 शैयया वाले बालक छात्रावास का निर्माण	ओंकार उच्च विद्यालय, सुपौल बाजार	मदरसा रहमानिया, सुपौल बाजार

योजनाहित में नये प्रस्तावित स्थलों पर निर्माण की स्वीकृति दी गई एवं निर्णय लिया गया कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से इन नये प्रस्तावित स्थलों पर स्वीकृत योजनाओं के निर्माण की घटोनोत्तर स्वीकृति हेतु अनुरोध किया जाय ।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई ।

ह0 /–
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–अ0रा0क0–08.06.2010(पार्ट) पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–अ0रा0क0 08.06.2010(पार्ट) पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि:– आप्त सचिव, मौलाना मोहम्मद असरारूल हक, माननीय सांसद, लोक सभा, नई दिल्ली / आप्त सचिव, श्री कीर्ति आजाद, माननीय सांसद, लोक सभा, नई दिल्ली / आप्त सचिव, श्री आर0के0 धवन, माननीय सांसद, राज्य सभा, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव